मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-4/2011/नियम/चार
प्रति,

भोपाल,दिनांक 27 जून, 2011

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय- मध्यप्रदेश पेंशन निमय 1976 के नियम-9 अन्तर्गत पेंशन को रोकने अथवा वापस लेने के संबंध में ।

राज्य शासन द्वारा जारी मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम-9 (1) में पेंशन रोकने अथवा उसे वापस लेने के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है:-

"पेंशनर, उसकी सेवा कें दौरान जिसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुर्ननियुक्ति पर की गई सेवा भी शामिल है, किसी विभागीय अथवा न्यायालयीन कार्यवाही में गंभीर दुराचरण अथवा लापरवाही का दोषी पाया जाता है, तो राज्यपाल स्वंय स्थायी रूप से अथवा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये पेंशन अथवा उसके किसी अंश को रोकने या वापिस लेने और शासन को हुई किसी आर्थिक हानि को पेंशन से पूर्ण या आंशिक वसूली के अधिकार सुरक्षित रखते है:"

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि:-

(i) पेंशन का कोई अंश रोका (With hold) या वापस लिया (With draw) जा सकता है
अथवा

(ii) पेंशन पूर्ण रूप से वापिस (With draw) ली जा सकती है ।

2/ पेंशन का कोई अंश रोकने पर विनिर्दिष्ट अवधि जिस हेतु पेंशन का अंश रोका गया है के पश्चात रोका गया अंश पुनः देय हो जाता है तथा पेंशनर को पूर्ण पेंशन प्राप्त करने की पात्रता आ जाती है,जबकि पेंशन वापिस लिये जाने पर भविष्य में पेंशनर को पेंशन के उक्त अंश की पात्रता नहीं आती है । यह भी उल्लेखनीय है कि पेंशन पूर्णतः वापिस लेने पर न्यूनतम पेंशन की पात्रता नहीं आती है जबकि यदि पेंशन का कोई अंश रोका अथवा वापिस लिया जाता है तब ऐसी स्थिति में कम से कम न्यूनतम पेंशन देय होती है ।

3/ अतः समस्त अनुशासनिक प्राधिकारियों का ध्यान उपर्युक्त नियमों की तथ्यात्मक स्थिति की ओर आकर्षित करते हुए लेख है कि अनुशासनिक अधिकारी के मत में यदि पेंशन पूर्णतः/अंशतः वापिस लिये जाने संबंधी शास्ति अधिरोपित करना है तो जारी किये जाने वाले आदेश में पेंशन वापिस (With draw) करने का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये । इसके विपरीत यदि पेंशन का कोई अंश किसी भी विनिर्दिष्ट अवधि हेतु रोकने का है तब ऐसी स्थिति में जारी किये जाने वाले आदेश में पेंशन का अंश तथा विनिर्दिष्ट अवधि जिस हेतु पेंशन रोकी (With hold) जा रही है का उल्लेख होना चाहिये ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.एन.मिश्रा)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां. एफ 9-4/2011/नियम/चार भोपाल,दिनांक 27 जून, 2011

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव,राजभवन भोपाल
2. प्रमख सचिव,मध्यप्रदेश,विधानसभा,भोपाल
3. निबंधक,उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
4. प्रमख सचिव,मुख्यमंत्री,मुख्यमंत्री सचिवालय,भोपाल
5. सचिव,लोक सेवा आयोग इन्दोर
6. सचिव,लोकायुक्त,मध्यप्रदेश भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्य मंत्री मध्यप्रदेश भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,मध्यप्रदेश भोपाल
9. सचिव,राज्य निर्वाचन आयोग,मध्यप्रदेश भोपाल
10. रजिस्ट्रार,मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता,मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/आडिट–1/2 मध्यप्रदेश ग्वालयर/भोपाल
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल
14. प्रमख सचिव/सचिव/उप सचिव,सा.प्र.विभाग भोपाल
15. आयुक्त,जनसंपर्क संचालनालय,मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिये
17. अवर सचिव सा.प्र.वि.स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी मंत्रालय भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष लेखा एवं पेशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य,लेखा प्रशिक्षण शाला,मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक जनसंपर्क प्रकोष्ठ,मंत्रालय भोपाल
23. अध्यक्ष,मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष–84 मंत्रालय भोपाल
24. अध्यक्ष,शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों
25. सभी कोषलाय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
26. गार्ड फाईल

(डी.के.सक्सेना)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन,वित्त विभाग